संख्या- 09/2024/71/77-6-24-6099/323/2022 पार्ट-11

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
इन्वेस्ट यू0पी0।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊः दिनांक 17 फरवरी, 2024**

विषयः उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति के आधार पर बृहद श्रेणी की तीन इकाईयों को एल.ओ.सी निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-19961/एसकेएस/आईयूपी/2023-24, दिनांक 02.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत परिभाषित बृहद श्रेणी की तीन परियोजना/औद्योगिक इकाईयों यथा श्री सिद्धबली स्टील्स कम्पनी प्रा0लि0 (मुजफ्फजर नगर), क्रीमी फूड्स प्रा0लि0 (बुलंदशहर) एवं एलियांज डिस्टिलरी प्रा0लि0 (मथुरा) - द्वारा प्राविधानित प्रोत्साहन की सुविधा प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में विचार-विमर्श किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उपर्युक्त तीन औद्योगिक इकाईयों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है-

क्र.सं.	आवेदक	प्रस्तावित निवेश (₹ करोड़)	श्रेणी	मांगे गए प्रोत्साहन (₹ करोड़)
1	श्री सिद्धबलि स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड	**65.36**	वृहद्	शुद्ध एसजीएसटी रिफंड
2	क्रीमी फूड्स लिमिटेड	**192.00**	वृहद्	पूंजीगत् सब्सिडी स्टाम्प ड्यूटी
3	एलियांज डिस्टिलरी लिमिटेड	**157.97**	वृहद्	पूंजीगत् सब्सिडी स्टाम्प ड्यूटी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1: **श्री सिद्धबली स्टील्स प्रा.लि.**

क) श्री सिद्धबली स्टील्स प्रा. लि. द्वारा मुजफ्फरनगर (पश्चिमांचल) में **72,000** मीट्रिक टन प्रति वर्ष की अनुमानित उत्पादन क्षमता तथा **₹65.36** करोड़ के प्रस्तावित निवेश के साथ बिलेट्स के विनिर्माण हेतु एक नवीन इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है।

ख) समिति द्वारा मूल्यांकन समिति की निम्नलिखित सुस्तुतियों पर सहमति व्यक्त की गई-

i. निम्नलिखित अस्वीकार्य शीर्षों को घटाने के बाद **परियोजना के वर्गीकरण हेतु** ₹58.24 **करोड़ का पूंजी निवेश**

- स्टांप ड्यूटी तथा **₹0.32** करोड़
- पंजीकरण शुल्क **₹0.04** करोड़
- अन्य निर्माण (विभिन्न अचल परिसंपत्तियां , सेक्योरिटी डिपोज़िट , निर्माण अवधि के दौरान ब्याज , प्रारंभिक व्यय , कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन मनी सम्मिलित है) **₹6.76** करोड़।

ii. प्रोत्साहनों की गणना हेतु **₹50.89** करोड़ का पात्र पूंजी निवेश (ईसीआई)(प्रभावी तिथि से पूर्व किए गए **₹7.35** करोड़ के निवेश को उपरोक्तानुसार पूंजी निवेश से घटाने के बाद।)

2: **क्रीमी फूड्स लि.**

क) क्रीमी फूड्स लि. ने **₹192.00** करोड़ के प्रस्तावित निवेश के साथ बुलन्दशहर (पश्चिमांचल) में स्थापित दही, छाछ एवं मक्खन आदि के अतिरिक्त उत्पादन हेतु दुग्ध-प्रसंस्करण संयंत्र को वर्तमान **10.5** लाख लीटर प्रति दिन की क्षमता से **16.5** लाख लीटर प्रति दिन की क्षमता तक विस्तारीकरण करने हेतु प्रस्ताव दिया गया।

i. निम्नलिखित अस्वीकार्य मदों(**heads**) को घटाने के बाद परियोजना के वर्गीकरण हेतु **₹182.05** करोड़ का पूंजी निवेश

- स्टांप ड्यूटी **₹0.10** करोड़
- पंजीकरण शुल्क **₹0.01** करोड़
- भवन एवं भूमि में अस्वीकार्य निवेश (कुल पूंजी निवेश के **30** प्रतिशत तक सीमित) **₹9.84** करोड़।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ii. प्रोत्साहनों की गणना हेतु **₹147.54** करोड़ का पात्र पूंजी निवेश (ईसीआई)- (प्रभावी तिथि से पूर्व किए गए **₹34.51** करोड़ के निवेश को उपरोक्तानुसार पूंजी निवेश से घटाने के बाद।) स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति का कोई प्राविधान नहीं है।

3: **एलियांज डिस्टिलरी लिमिटेड**

एलियांज डिस्टिलरी लिमिटेड ने **₹157.98** करोड़ के प्रस्तावित निवेश के साथ मथुरा (पश्चिमांचल) में इथनॉल के उत्पादन हेतु नवीन इकाई की स्थापना करने हेतु प्रस्ताव दिया है।

i. निम्नलिखित अस्वीकार्य शीर्षों को घटाने के बाद परियोजना के वर्गीकरण हेतु **₹148.69** करोड़ का पूंजी निवेश

- स्टांप ड्यूटी तथा **₹0.68** करोड़
- पंजीकरण शुल्क **₹0.13** करोड़
- अन्य निर्माण लागत **₹2.37** करोड़
- निर्माण के दौरान ब्याज **₹2.61** करोड़
- कार्यशील पूंजी मार्जिन **₹2.00** करोड़
- संचालन से पूर्व व्यय **₹1.50** करोड़

ii. प्रोत्साहनों की गणना हेतु **₹139.20** करोड़ का पात्र पूंजी निवेश (ईसीआई) (प्रभावी तिथि से पूर्व किए गए **₹9.49** करोड़ के निवेश को उपरोक्तानुसार पूंजी निवेश से घटाने के बाद।) स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति का कोई प्राविधान नहीं है।

3- अत: उपर्युक्तानुसार वर्णित तथ्यों, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 एवं तदुक्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-21/2023/1307/77-6-2023-2(एम)/2023 दिनांक 14.04.2023 तथा पत्र संख्या-3973/77-6-2023/6099/2/228/2023, दिनांक 21.12.2023 द्वारा निर्गत इम्पावर्ड कमेटी के कार्यवृत्त में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा श्री राज्यपाल उक्त तीन औद्योगिक इकाईयों को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय,

अनिल कुमार सागर

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 09/2024/71/77-6-24-6099/323/2022 पार्ट-11तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/वित्त, न्याय, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, नियोजन, एमएसएमई, स्टाम्प एवं निबन्धन, राज्यकर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0 राजस्व परिषद, लखनऊ
5. निजी सचिव, सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/यूपीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा।
7. प्रबंध निदेशक, पिकप।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार मौर्य

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।